



अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ, उ०प्र० Atal Bihari Vajpayee Medical University, Lucknow, U.P.

पत्रांक : 51...../कुलसचिव/अ०बि०वा०चि०वि०/2021

दिनांक : 19 जून 2021

सेवा में,

समस्त निदेशक/प्राचार्य,
राजकीय तथा निजी मेडिकल/डेंटल/नर्सिंग/पैरामेडिकल कालेज,
उत्तर प्रदेश

विषय : अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय उ०प्र०, लखनऊ के अधिनियम संख्या 42 सन् 2018 के क्रम में विभिन्न कालेजों/संस्थाओं की सम्बद्धता के सम्बन्ध में।

महोदया/महोदय,

कृपया अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय उ०प्र०, लखनऊ द्वारा जारी परिपत्र सं०-५००१/अ०बि०वा०चि०वि०/2020 दिनांक 17 दिसम्बर 2020 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उल्लेखनीय है कि उ०प्र० शासन द्वारा अधिनियम संख्या 42 सन् 2018 के माध्यम से लखनऊ में अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना की गयी है। विश्वविद्यालय में विभिन्न मेडिकल/डेंटल/नर्सिंग/पैरा मेडिकल कालेजों में नये पाठ्यक्रम/कोर्स हेतु सम्बद्धीकरण से सम्बन्धित कार्यवाही गतिमान है।

उक्त अधिनियम के अनुसार विश्वविद्यालय के कार्यक्षेत्र में सरकारी और निजी प्रबन्धकृत संस्थाओं को सम्बद्ध करना तथा उनकी परीक्षाएं संचालित करना शामिल है। अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय उ०प्र०, लखनऊ अधिनियम दिनांक 15 अक्टूबर 2020 से प्रभावी है। कतिपय सूत्रों से विश्वविद्यालय के संज्ञान में आ रहा है कि उक्त अधिनियम के प्रभावी होने के उपरान्त भी कुछ मेडिकल/नर्सिंग/पैरा मेडिकल कालेज नये सत्र (2020-21, 2021-22) से विभिन्न पाठ्यक्रमों के सापेक्ष सम्बद्धता के लिए अन्यत्र विश्वविद्यालय में आवेदन कर रहे हैं।

स्थिति को और स्पष्ट करने के लिए उपरोक्त परिपत्र के अलावा उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय के समस्त कुलसचिवगण को इस विश्वविद्यालय के पत्रांक 29/कुलसचिव/2021 दिनांक 07.01.2021 के माध्यम से सूचित किया गया था। सुलभ सन्दर्भ हेतु परिपत्र तथा उक्त पत्र की प्रति पुनः इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित की जा रही हैं।

अतः उक्त परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि नये पाठ्यक्रम/कोर्स हेतु सत्र 2020-21 से तथा उसके उपरान्त यदि किसी कालेज द्वारा किसी अन्यत्र संस्थान में सम्बद्धीकरण हेतु कार्यवाही की जाती है तो भविष्य में अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय उ०प्र०, लखनऊ द्वारा उनकी सम्बद्धता पर विचार नहीं किया जायेगा तथा इसके लिए सम्बन्धित कालेज/संस्थान स्वयं उत्तरदायी होंगे। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि यह व्यवस्था/नियम भारत सरकार एवं उ०प्र० शासन द्वारा स्वायत्तशासी/स्वतन्त्र मान्यता दिये गये विश्वविद्यालयों/कालेजों/संस्थानों पर लागू नहीं होंगे।

संलग्नक : उपरोक्त

भवदीय,


(अनिल कुमार सिंह)

रजिस्ट्रार

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ -

- अपर मुख्य सचिव, मा० राज्यपाल, उ०प्र०, लखनऊ।
- प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
- महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उ०प्र०, 6ठां तल, जवाहर भवन, अशोक मार्ग, लखनऊ।
- निजी सचिव, मा० कुलपति जी, अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय उ०प्र०, लखनऊ।

रजिस्ट्रार



अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ, उ०प्र० Atal Bihari Vajpayee Medical University, Lucknow, U.P.

पत्रांक: ५००१./अ०वि०वा०चि०वि०/२०२०

दिनांक १७ दिसम्बर, २०२०

परिपत्र

अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश, अधिनियम २०१८ दिनांक २२ दिसम्बर, २०१८ को अधिसूचित किया गया था। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अधिनियम की धारा-१ की उपधारा (३) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या १६२३/७१-४-२०२०-जी-१३७/२०१८ दिनांक १३ अक्टूबर २०२० के द्वारा दिनांक १५ अक्टूबर २०२० से अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय, उ०प्र०, लखनऊ प्रभावी है। अधिनियम की धारा- १ की उपधारा (२), धारा ५, ६ एवं धारा ७ की उपधारा (१) के अन्तर्गत "राज्य के किसी अन्य विधि में किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी इस अधिनियम के उपबंध अंगिभावी होंगे", उपधारा (२) "उत्तर प्रदेश राज्य में चिकित्सा विज्ञान या दन्त विज्ञान अथवा परिचर्या तथा पराचिकित्सा शाखाओं में उपाधि पाठ्यक्रमों में शिक्षा प्रदान करने वाला कोई कालेज या संस्था किसी अन्य विश्वविद्यालय से सम्बद्ध नहीं की जायेगी और किसी अन्य राज्य विश्वविद्यालय के किसी भी रूप में किन्हीं विशेषाधिकारों में या उनकी स्वीकृति प्राप्त करने हेतु सरकार का अनुमोदन सम्मिलित होगा", उपधारा (३) "राज्य में स्थित किसी आयुर्विज्ञान के किसी मेडिकल कालेज या संस्था द्वारा नियत दिनांक के पूर्व अन्य विश्वविद्यालय से उपभुक्त ऐसा कोई विशेषाधिकार, ऐसे दिनांक से प्रत्याहृत माना जायेगा", उपधारा (४) "नियत दिनांक को और से किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ या उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा या शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुर्नवास विश्वविद्यालय या उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, १९७३ के अधीन गठित किसी राज्य विश्वविद्यालय के विशेषाधिकारों से पूर्व में स्वीकृत या उनसे सम्बद्ध आयुर्विज्ञान के समस्त कालेज और संस्थायें, विश्वविद्यालय के विशेषाधिकारों को स्वीकृत किये हुये या उससे सम्बद्ध समझे जायेंगे", अधिनियम के "उद्देश्य और कारण" के प्रस्तर-२ (ख) "सरकारी और साथ-ही-साथ निजी प्रबन्धकृत संस्थाओं को सम्बद्ध करना तथा उनकी परीक्षाएं संचालित करना और राज्य के कतिपय अन्य विश्वविद्यालयों के अधिनियमों में संशोधन करके उनकी सम्बद्धता की शक्ति को समाप्त करना", तथा अधिनियम की धारा २८, २९, ३० जो "कालेजों की सम्बद्धता और मान्यता" की स्पष्टता के साथ अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश, अधिनियम दिनांक १५ अक्टूबर २०२० से प्रभावी है। यदि किसी संस्था द्वारा तत्सम्बन्धी आवेदन किसी अन्य विश्वविद्यालय/संस्थान को किया जाता है तो विश्वविद्यालय/संस्थान द्वारा उक्त आवेदन को तत्काल अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को संवर्भित कर दिया जायेगा। सम्बन्धित उक्त अधिसूचना की प्रति विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.abvmuup.edu.in पर अवलोकनीय है।

(डा० अरुण कुमार सिंह)
कुलपति

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

१. अपर मुख्य सचिव श्रीराज्यपालजी, राजभवन, लखनऊ।
२. अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा शिक्षा, उ० प्र० शासन, लखनऊ।
३. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उ० प्र० शासन, लखनऊ।
४. अपर मुख्य सचिव, न्याय विभाग, उ० प्र० शासन, लखनऊ।
५. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र०, लखनऊ।
६. कुलपति, किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ-२२६००३
७. निदेशक, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, अंसारी नगर, नई दिल्ली-११००२९
८. निदेशक, संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ-२२६०१४
९. निदेशक, डा० राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-२२६०१०
१०. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को व्यापक प्रचार-प्रसार कराने हेतु।
११. कुलपति, शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुर्नवास विश्वविद्यालय, लखनऊ।
१२. कुलपति, आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा।



अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ, उ०प्र०
Atal Bihari Vajpayee Medical University, Lucknow, U.P.

13. कुलपति/निदेशक/प्राचार्य/प्रबन्धक, राजकीय/निजी आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय/समस्त कालेज और संस्थायें, उत्तर प्रदेश।
14. कुलसचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय (उच्च शिक्षा), उत्तर प्रदेश।
15. चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-4/उच्च शिक्षा अनुभाग-1/दिव्यांग सशक्तिकरण अनुभाग-1/चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
16. वित्त अधिकारी, अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ।
17. विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर हाई लाइट करते हुए अपलोड करने के हेतु।
18. गार्ड फाइल।


17.12.2020
(अनिल कुमार सिंह)
रजिस्ट्रार

अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय उ0प्र0, लखनऊ

पत्रांक: २९ /कुल सचिव/2021

दिनांक: ०७-०१-२०२१

सेवा में,

समस्त कुल सचिव,
उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय।

विषय:- अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय उ0प्र0 के अधिनियम सं0-42 वर्ष 2018 के क्रम में विभिन्न कॉलेजों की सम्बद्धता के सम्बन्ध में जारी परिपत्र के पुनः संज्ञानार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही विषयक।

महोदय,

कृपया अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय उ0प्र0 द्वारा जारी प्रपत्र सं0-प001/अ0बि0व0चि0वि0/2020 दिनांक 17 दिसम्बर, 2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे। उल्लेखनीय है कि उ0प्र0 शासन द्वारा अधिनियम सं0-42 सन् 2018 के माध्यम से लखनऊ में अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना की गयी है। विश्वविद्यालय में विभिन्न मेडिकल/नर्सिंग/पैरा मेडिकल कॉलेजों में नये पाठ्यक्रम/कोर्स हेतु सम्बद्धीकरण से सम्बन्धित कार्यवाही प्रारम्भ हो गयी है।

उक्त अधिनियम के अनुसार विश्वविद्यालय के कार्यक्षेत्र में सरकारी और निजी प्रबन्धकृत संस्थाओं को सम्बद्ध करना तथा उनकी परीक्षाएं संचालित करना शामिल है। अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय, उ0प्र0, अधिनियम दिनांक 15 अक्टूबर, 2020 से प्रभावी है। यदि किसी संस्था द्वारा तत्सम्बन्धी आवेदन किसी अन्य विश्वविद्यालय/संस्थान को किया जाता है तो विश्वविद्यालय/संस्थान द्वारा उक्त आवेदन को तत्काल अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय, उ0प्र0, लखनऊ को संन्दर्भित कर दिया जायेगा। सम्बन्धित उक्त अधिसूचना की प्रति विश्वविद्यालय की वेब-साइट www.abvmuup.edu.in पर अवलोकनीय है।

अतः उक्त संदर्भ में अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय, उ0प्र0 द्वारा दिनांक 17 दिसम्बर, 2020 को जारी किये गये परिपत्र की प्रति, जो आपको पूर्व में भी प्रेषित की गयी थी, पुनः संलग्न कर प्रेषित करते हुए सादर अनुरोध है कि कृपया उक्तानुसार संज्ञान लेते हुए आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(अनिल कुमार सिंह)

रजिस्ट्रार

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल जी, राजभवन, लखनऊ।

Atal Format

2. अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा शिक्षा, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
3. अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
4. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र०, लखनऊ।
5. निदेशक, डॉ राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, गोमतीनगर, लखनऊ।
6. कुलपति, शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ।
7. कुलपति, आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा।
8. कुलपति/निदेशक/प्राचार्य/प्रबन्धक, राजकीय/निजी/ आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय/ समस्त कॉलेज और संस्थाए, उत्तर प्रदेश।
9. निजी सचिव, कुलपति जी, अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय उ०प्र०, लखनऊ।

रजिस्ट्रार
07.01.2021
de
R